इमाम के पीछे सुरह फातेहा पढ़ना जरूरी है एक तहकीक

इमाम के पीछे ज़हरी(किरात) और सिर्री(खामोश) नमाज़ो मे सुरह फातेहा पढ़ना एक ऐसा मसला है जिस का पढ़ना फर्ज है बहुत सी अहादिस सहीह से साबित है । बावजूद इस हकीकत के फिर भी ये मुसलसल एक बहस चली आ रही है । जिस पर बहुत सी किताबे लिखी जा चुकी है, जो हज़रात इस के कायल नहीं है, जो कि सिर्फ हनफी मसलक के लोग है । उन मे बाज़ का गूलू तो यहां तक बढ़ा हुआ है कि वो इसे हराम करार देते है और इमाम के पीछे सुरह फातेहा पढ़ने वालो के बारे मे यहां तक कह जाते है कि कयामत के दिन उन के मूंह मे आग के अंगारे भरे जायेगे (नाऊजुबिल्लाह) । जबकि उनके पास अपनी बात को साबित करने के लिये कोई सहीह दलील मौजूद ही नहीं सिर्फ राय से ये ना सिर्फ अपने तकलीदी भाईयो शाफाई, मालिकी, हंबली, से इख्तेलाफ करते है वहीं दीगर सल्फ सालेहीन और इमामुल अंबिया रसुले अरबी सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम से भी इख्तेलाफ कर जाते है । अल्लाह हिदायत फरमाये । आमीन ।

इसलिये मुनासिब मालूम हुआ कि इस मसले की कुछ वजाहत कर दी जाये ताकि इसके कायल और मुखालेफिन के दरम्यान नाइत्तेफाकी कुछ कम हो जाये ।

सुरह फातेहा पढने की तहकीकी दलीले

पहली हदीस

फातेहा खलफुल इमाम के मुत्तालिक नबी अकरम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सहीहीन (बुखारी, मुस्लिम, जिन की सेहत पर अहले इल्म का शुरू से ही इत्तेफाक रहा है) मे इस तरह मरवी है कि :-

'ला सलाता ले मल्लम यकरआ बे फातेहातुल किताब' (सहीह बुखारी, किताबुल अज़ान, हदीस नं0 756)

उस की नमाज़ नहीं जो फातेहा नहीं पढ़ता

अब ये हदीस शरीफ इमाम, मुक्तदी, और मुनफरीद, तीनो को शामिल है । और इसके आम होने

पर इसके अल्फाज़ दलालत करते है । और जैसे ये हदीस हर मुसल्ली को आम है वैसे हर नमाज़ (फर्ज, हो ख्वाह नफ़्ल हो या जनाज़े की नमाज़) को भी आम है और इस अमूम पर लफ्ज़ 'ला सलाता' दलालत करता है और इस आम को खास करने के लिये जो दलाईल पेश किये गये है वो सब मजबूत है इसलिये इमाम खताबी ने लिखा है कि –

'इस हदीस शरीफ का हुक्म आम है और इस से किसी फर्द को खास करना बगैर किसी दलील के जायज नहीं है'

ये हदीस आम है और इस को खास करने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योकि आहंजरत सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने अपने मजकूरा कौल मुबारक से किसी नमाज़ी को खास नहीं किया है (तो आप की इजाजत के बगैर ये आम से खास कैसे हो सकती है) फिर अगर कोई कहे कि ला सलाता मे कलमा 'ला' से मुराद नफी कमाल की है, तो इसका जवाब ये होगा कि यहां 'ला' से नफी कमाल की मुराद लेना हरगिज़ जायज़ नहीं है । ये दो वजह से जायज़ नहीं है ।

पहली वजह :– कलमा ला नफी जिन्स के वास्ते है और ये कलमा ज़ात की नफी के लिये आया है न कि नफी कमाल के लिये । बस मायना हकीकी से बिला वजह मुखालेफत करके नफी कमाल मुराद लेना हरगिज जायज़ नहीं और अगर फर्ज किया जाये कि ज़ात सलाता गैर मुमकिन है तो इस तकरीर पर भी सेहत की तरफ से रूजू होगा न कि कमाल की तरफ ।

दूसरी वजह :– दूसरी वजह ये है कि दारकुतनी, इब्ने खुजैमा, इब्ने हिब्बान, और हाकिम की बाज़ रिवायत मे लफ्ज़ 'ला तजज़ी' वाकेए हुआ है । फिर यहां नफी कमाल की मुराद लेना क्योकर सहीह हो सकता है ।

दूसरी हदीस

अबुहुरैरा रजि0 से मरवी है कि रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ऐसी नमाज़ पढ़े कि इस मे सुरह अलहम्दु शरीफ न पढ़े तो वो नमाज़ नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, पूरी नहीं है । फिर अबूहुरैरा रजि0 से कहा गया कि हम इमाम के पीछे होते है ? तो अबूहुरैरा रजि0 ने फरमाया कि सुरह फातेहा आहिस्ता पढ़ लो । (सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात, हदीस नं0 878)

इस हदीस से भी बाखूबी साबित हो गया कि सुरह फातेहा के बगैर नमाज़ खारिज है और पूरी नहीं है और खारिज नुकसान ज़ाती को कहते है ना कि वा सफी को ।

और ये हदीस भी हर मुसल्ली को आम है, क्योकि इस मे भी लफ्ज़ मन वाकेए है जो कि अल्फाज़ अमूम मे से है । ये दोनो हदीसे हदीस के सबसे सहीह किताबे सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की थी । जिसकी सेहत पर रत्ती बराबर भी शक नहीं की ये आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है ।

तीसरी हदीस

तिर्मिजी, अबू दाऊद, नसई, मे ये अल्फाज़ मरवी है कि :-

हज़रत उबादा बिन सामित रजि0 बयान करते है कि रसुलूल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फज़र की नमाज़ पढ़ाई तो आप पर किरात भारी हो गई । जब आप ने सलाम फेरा तो फरमाया कि मै देखता हूं कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे किरात करते हो ? रावी कहते है कि हम ने अर्ज किया कि हां ऐ अल्लाह के रसुल सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम अल्लाह की कसम (हम तिलावत करते है) आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुरह फातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा करो, क्योकि वो नमाज़ ही नहीं जिस मे सुरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती ।(तिर्मिजी, किताबुस्सलात 311, अबू दाऊद किबातुस्सलात 823, नसई किताबुस्सलात 921)

यह हदीस शरीफ भी सहीह है और इस की सेहत मे कोई शुब्हा नहीं है, क्योकि इस को तिर्मिजी और दारूकुतनी ने हसन और बैहकी ने सहीह और हाकिम ने असनाद मुस्तकीम और खताबी ने असनाद मतन कवी और इब्ने हजर ने भी सहीह और मौलाना अब्दुल हई लखनवी रह0 ने सहीह कवी सनद कहा है ।

एतराज-1

अगर कोई कहे कि इस हदीस की सनद मे मुहम्मद बिन इस्हाक वाकेए है और वो सिका रावी नही है ।

जवाब

जवाब इस का ये है कि इब्ने इस्हाक के मुत्तालिक जिरह नकल शुदा है वो सब मरफू मे और हक ये है कि वो बिल्कुल सिका है और इसके सबूत के मुत्तालिक उलमा हनफिया की किताब की तरफ रूजू

कीजिये मसलन फतुहुल कदीर, महल्ला शरह मुवत्ता अलशेख सलामुल्लाह देहलवी और मौलाना अब्दुल हई लखनवी ।

एतराज –2

अगर कोई कहे कि मुहम्मद बिन इस्हाक मुदल्लिस भी है ।

जवाब

इस का जवाब ये होगा कि ये हदीस सुनन दारकुतनी और बैहकी और मुसनद अहमद मे दुसरी सनद से मरवी है, जिस मे इब्ने इस्हाक ने अपने असताज़ मकहूल से समाअ की तसरीह की है और कहा है कि 'हदसनी मकहूल' और ये कायदा है कि जब मुदल्लिस रावी किसी हदीस की सनद मे एक जगह समाअ की तसरीह करता है और दूसरी जगह नहीं तो इस की ये दोनो हदीसे महमूल अला समाअ होगी ।

हासिल ये कि ये हदीस सहीह है और इस से सरहतन मालूम हुआ है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सुरह फातिहा पढ़ना निहायत जरूरी अम्र है । क्योकि आप ने खास मुक्तदियो को खिताब कर के इस के पढ़ने का हुक्म फरमाया और इस की वजह बयान फरमाई कि इस के बगैर नमाज़ नहीं होती ।

इस हदीस के मुत्तालिक इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह फरमाते है कि इमाम के पीछे सुरह फातिहा पढ़ने के बारे मे अकसर अहले इल्म, सहाबा रजि0 और ताबई रह0 का इसी हदीस (उबादा बिन सामित रजि) पर अमल है और इमाम मालिक रह0, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह0 **(शार्गिद इमाम अबु हनीफा रह0)** इमाम शाफाई रह0, इमाम अहमद रह0, भी इमाम के पीछे सुरह फातिहा पढ़ने के कायल थे।

चौथी हदीस

इमाम बैहकी की जजाऊल किरात मे मरफूअन मरवी है कि :–

जिस ने इमाम के पीछे सुरह फातिहा नहीं पढ़ी इस की नमाज़ नहीं है । (जज़ाऊल किरात 56)

और इस हदीस के मुत्तालिक इमाम बैहकी का ये फैसला है कि :–

'इस हदीस की असनाद सहीह है और जो इस मे खलफुल इमाम की ज्यादती है वो भी सहीह और मशहूर है क्योकि बहुत सी वजूह से मरवी है ।'

पांचवी हदीस

'जो शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़े इसको सुरह फातिहा पढ़नी चाहिये ।' (तबरानी 291)

और ये हदीस बिल्कुल सहीह और काबिले एतबार है और इसका अक्स हाफिज हैसमी की किताब मजमुआ अल ज़वाहिद मे इस तरह मिलता है कि :–

'इस हदीस शरीफ के रावी सब पुख्ता और मोतबर है ।'

छठवी हदीस

हज़रत अनस रजि0 फरमाते है कि रसूलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रजि0 को नमाज़ पढ़ाई । फारिग होकर उनकी तरफ़ मुतवज्जह होकर पूछा क्या तुम अपनी नमाज़ मे इमाम की किरअत के दौरान में पढ़ते हो ? सब ख़ामोश रहे । तीन बार आपने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया हां हम ऐसा करते है । आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''ऐसा न करो तुम केवल सुरह फातिहा दिल मे पढ़ लिया करो ।'' (इब्ने हिब्बान 5/152,162, बैहेकी 2/166)

इसकी सेहत मे बारे मज्मउज्ज़वाइद मे इमाम हैसमी फरमाते है इसके सब रावी सिका है । इब्ने हजर ने इसे हसन कहा है ।

तफसीर इब्ने कसीर सफा 112 मे है – किरात फातिहा की अहदीस बकसरत है इन्ही अहादिस कसीरा की बिना पर बहुत से मुहक्केकीन उलमाए अहनाफ भी किरात फातिहा खुलफुल इमाम के कायल है जिस की तफसील के सिलसिल मे अलमुहद्देसीन अलकबीर हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी मरहूम फरमाते है – अल्लामा शरानी ने लिखा है कि **इमाम अबू हनीफा रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 का ये कौल की मुक्तदी को अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़ना चाहिये इनका पुराना कौल है,** इमाम अबु हनीफा रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 ने अपने इस **पुराने कौल से रूजु कर लिया है और मुक्तदी के लिये सुरह फातिहा पढ़ने को सिर्री नमाज़ मे मुस्तहब बताया है** चुनांचे अल्लामा मौसूफ लिखते है :–

कि इमाम अबू हनीफा रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 के दो कौल है, एक ये कि मुक्तदी को सुरह फातिहा पढ़ना ना वाजिब है और ना सुन्नत और इन दोनो इमामो का ये कौल पुराना है । और इमाम मुहम्मद रह0 ने अपनी कदीम तसनीफात मे इसी कौल को दर्ज किया है और इन के **नुस्खे एतराफ मे सब जगह फैल गये ।** और दुसरा कौल ये है कि मुक्तदी को नमाज़ सिर्री मे सुरह फातिहा पढ़ना मुस्तहब है इस वास्ते की हदीस मरफू मे वारिद हुआ है कि ना पढ़ो मगर सुरह फातिहा और एक रिवायत मे है कि जब मै बा आवाज़ बुलंद किरात करू तो तुम लोग कुछ न पढ़ो मगर सुरह फातिहा, और अता रह0 ने कहा कि (यानि सहाबा रजि0, व ताबई रह0) कहते थे कि नमाज़ सिर्री व जहरी दोनो मे मुक्तदी को पढ़ना चाहिये

बस इमाम अबु हनीफा रह0 और इमाम मुहम्मद रह0 ने एहतियातन अपने पहले कौल से दुसरे कौल की तरफ रूजु किया ।

लो अब बकौल अल्लामा शरानी इमाम अबु हनीफा रह0 के नज़दीक भी इमाम के पीछे सुरह फातिहा पढ़ना जायज़ हुआ बल्कि मुस्तहसीन व मुस्तहब ।

नाज़रीन बस ये हदीस शरीफ मुखालेफिन के मज़हब के रद्द के लिये दलील है । चूंकि इस मे इमाम के पीछे सुरह फातिहा पढ़ने के लिये आप का अम्र मुबारक मौजूद है और ये बात मुखालेफिन के यहां कुबूल है कि अम्र वजूब के लिये हुआ करता है । तो अब फातिहा खलफुल इमाम के वाजिब होने मे कैसा शुबहा रहा ? हां इतना वाजेह हुआ कि हज़रात हनफिया इसके लिये जो दलीले पेश करते है वो इन सहीहीन के सामने कुछ नहीं है । थोड़ी समझ बूझ रखने वाले भी अच्छी तरह इस की हकीकत समझ सकता है । और हम उनके चंद मशहूद दलाईल पेश कर के इल्मी तहकीक के साथ इनका फोटो खीचंते है ताकि आप को सही और गलत के बीच इम्तेयाज़ मालूम हो जाये । हनफी कुछ मौजू हदीसे भी पेश करते है उनका जवाब न देकर जिन हदीसो पर मोहद्दिस इकराम ने कलाम किया है उसका जायजा लिया जायेगा ।

मुखालेफिन के दलाईल व उनके जवाबात

पहली दलील

अहनाफ की पहली दलील कुरआन मजीद की सुरह आराफ की आयत नं; 204 :-

‘जब कुरआन पढ़ा जाये तो उसे दिल लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाये ।‘

इसके कई जवाबात है लेकिन यहां चंद जवाबात पेश किये जाते है ।

पहला जवाब

ये आयत इसी सुरह की अगली आयत नं0 205 के मातहत है क्योकि अगर आयत 204 ‘जब कुरआन पढ़ा जाये तो खामोश रहो’ आम मुक्तदी वगैरह को शामिल है तो आयत 205 ‘अपने रब को अपने दिल मे सुबह व शाम के वक्तो मे डरते हुए और हल्की आवाज़ के साथ याद किया करो’ भी आम मुक्तदी को शामिल है और उलमाए हनफिया का ये उसूल माना हुआ है कि :-

‘जब दो आयतो मे माअरिज वाकेए हो, तो इस वक्त दोनो आयते साकित होगी और हदीस की

तरफ रूजू करना होगा ।' (नूरूल अनवार 157, तलूबी 104)

मालूम हुआ कि ये आयत हनफियो के खुद के उसूल के मुताबिक दलील लेने के काबिल नहीं है । और ये ताज्जुब का मकाम है कि ये हज़रात न तो अपने उसूल की पाबन्दी करते है और न हमारी बात को (जिस मे कोई शुब्हा नहीं) मानते है ।

ना खुदा मिला न विसाले सनम – न इधर के रहे न उधर के हम ।

दुसरा जवाब

इस आयते करीमा से फातिहा खुलफुल इमाम की मुमानियत पर दलील पकड़ना इस अम्र पर मौकूफ है कि इस आयत करीमा मे कतई तौर पर अहले इस्लाम मुखातिब हो । लेकिन ये ममनू है बल्कि नज़्मे कुरआन व सिलसिला कलामे इलाही से ये बात मालूम होती है कि इस आयते करीमा मे काफिर मुखातिब है और इस का मुसलमानो से कोई ताल्लुक नहीं है । इमाम राज़ी तफसीर कबीर मे इस आयते करीमा के मुत्तालिक मुफ्फसरीन के अकवाल नकल कर के फिर फरमाते है कि :-

इस आयते करीमा की मुत्तालिक एक और कौल भी है और वो ये है कि इस आयते करीमा मे मुसलमानो को खिताब नहीं है बल्कि इब्तेदा इस्लाम मे काफिर को खिताब है और ये कौल बेहतर और मुनासिब है ।

तीसरा जवाब

हज़रात उलमाए अहनाफ इस आयते करीमा के उमूम से खुतबा पढ़ते वक्त दरूद शरीफ पढ़ने और नमाज़ फज़र के शुरू होने के बाद इमाम के किरात करने की हालत मे सफो के पीछे सुन्नत पढ़ने और इमाम के पीछे सना वगैरह पढ़ने को खास करते है, तो मुक्तदी की किरात को इस अमूम से खास करने मे क्या उसूल है ?

चौथा जवाब

अगर माना जायेगा कि ये आयते करीमा फातिहा खुलफुल इमाम की मुमानियत पर दलालत करती है तो भी ये दलील नहीं बन सकती इस लिये कि इस आयते करीमा मे अगर पढ़ने की मना है तो इमाम के

पढ़ने की हालत मे है ना कि इमाम के सकुनत मे भी । बल्कि अहादिस शरीफा से तो मालूम होता है कि इामम के सकुनत मे फातिहा शरीफा जरूर पढ़नी चाहिये । (जज़ाउल किरात)

दुसरी दलील

हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद फरमाते है कि हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज मे इमामत फरमाई तो आप सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के पीछे एक शख्स ने किरात की, तो बगल वाले आदमी ने उसे इशारा फरमाया तो नमाज़ से फरागत के बाद उस ने कहा कि आप ने मुझे क्यो इशारा किया तो उन्होने ने फरमाया कि हुजूर सल्लाल्लाहू तुम्हारी इमामत फरमा रहे है फिर हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के पीछे तुम्हारा पढ़ना मैने पसंद नहीं किया तो हुजुर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने उन की गुफ्तगू सुन कर फरमाया कि जिस के लिये इमाम हो तो इमाम की किरात उसकी किरात के लिये काफी है । (मुवत्ता इमाम मुहम्मद 100)

जवाब

इसका जवाब ये है कि ये हदीस बिल्कुल जईफ और गैर मोतबर है और इस हदीस को इमाम बुखारी रह0 ने एतबार के काबिल नहीं माना और दारूकुतनी, अबू हातिम और इब्ने अदी ने मुर्सल और अबू मुसा राज़ी ने भी लानत की, और इब्ने जौजी रह0 ने एतबार के काबिल नहीं माना और इब्ने हज़म ने सकुनत इख्तेयार की और इमाम नौवी ने सख्त जईफ और इमाम करतबी रह0 ने अपनी तफसीर मे जईफ और इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर मे भी सख्त जईफ और हाफिज ज़हबी रह0 ने कलाम करना पसंद न किया, और इब्ने हजर ने फतुहुल बारी मे जईफ कहा । अलावा इसके अगर ये हदीस सहीह भी मानी जाये कई वजहो से मर्दूद है :-

पहली वजह :- ये हदीस हनफियो के तसलीम उसूल पर मंसूख है क्योकि उनकी किताब उसूल मे है कि :-

जो सहाबी अपनी मरवी के खिलाफ फतवा दे यो खिलाफ अमल करे तो वो हदीस मंसूख है ।

इस हदीस के जितने भी रिवायत करने वाले सहाबी रजि0 है वो सब के सब फातिहा खुलफुल इमाम के कायल है ।

अजीब बात है कि अपने ही उसूल पर नहीं चलते है और अपने हां ही मंसूख हदीस को दलील के तौर पर पेश करते है ।

दुसरी वजह :– इसमे साफ अल्फाज है कि उस शख्स ने किरात की जबकि यहां सुरह फातिहा पढ़ने की वजाहत मौजूद ही नहीं ।

तीसरी वजह :– इस हदीस की एक सनद मे ये अल्फाज भी वाकेए हुये है 'व सलाता लहू सलवात' तो अहनाफ के नजदीक ये मायना हुआ कि **इमाम की नमाज़ मुक्तदी की नमाज है ।** तो फिर इस आयत करीमा 'कि तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो दुसरे को नही' । (सुरह बकरा 85) । यानि ताज्जुब है कि गाय का दुध हलाल और उसी गाय का गोश्त हराम ।

तीसरी दलील

हज़रत अबू हुरैरा रजि0 फरमाते है कि हुजूर सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम को इक्तेदा के लिये मुकर्रर किया गया है लेहाज़ा इमाम किरात करे तो तुम खामोश रहा करो । (तहावी शरीफ 1/128)

जवाब

लेकिन ये हदीस भी सहीह नहीं, क्योकि इस की सनद मे कतादा वाके है वो मुदल्लिस है (तबकातउल मुदल्लिस, इब्ने हजर असकलानी) । अलावा इसके मुहद्दसीन की कसीर तादाद मसलन बुखारी रह0, अबू दाऊद रह0, अबू हातिम रह0, यहया रह0,हाकिम रह0, दारेकुतनी रह0, इब्ने खुजैमा रह0, मुहम्मद बिन यहया ज़हली रह0, अबू अली रह0, बैहकी रह0, वगैरह का इस ज्यादती 'इज़ा किरात अफनसतवा' के खता होने पर इत्तेफाक है और ये हदीस कई वजुहात से हमारे ऊपर हुज्जत नहीं है और मन जुमला उन की ये दो वजहे है :–

पहली वजह :– ये कि ये हदीस हनफिया के मज़कुरा उसूल पर मंसूख है क्योकि इस के रावी अबू हुरैरा रजि0 से फातिहा खुलफुल इमाम के मुत्तालिक फतवा साबित है (सहीह मुस्लिम 878)

दुसरी वजह :– मुहद्दिसीन का उसूल है कि अगर दो दलीलो का आपस मे टकराव वाकेए हो जायेगा तो इस वक्त दोनो साकित होगे । इसकी सब वजह सुरह आराफ की आयते करीमा 204 के जवाब मे दी जा चुकी है ।

चौथी दलील

इनकी चौथी दलील ज़हरी की ये हदीस है :–

जब रसुलुल्लाह सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम ने नमाज मे बुलन्द आवाज से किरात करना शुरू किया तो लोगों ने इस नमाज मे किरात करना छोड़ दिया ।

जवाब

ये हदीस भी नाकाबिले एतबार है क्योकि ये कलाम ज़हरी का अपना दर्ज शुदा है और न किसी सहाबी का कलाम है (जज़ाउल किरात, बुखारी) अलावा इसके इससे किरत खुलफुल इमाम जहरी नमाज़ मे साबित होता है और हज़रात हनफिया इस से सिर्री और ज़हरी दोनो के लिये दलील पकड़ते है और ताज्जुब ये है कि दावा आम दलील खास ।

पांचवी दलील

इनकी पांचवी दलील नबी अकरम सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के मर्ज वफात मे नमाज़ पढ़ने वाली हदीस है ।

जवाब

इस के कई जवाबात है मगर सिर्फ 2 जवाब पेश किये जाते है :–

पहला जवाब

अव्वल ये कि आहंजरत सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम जो मस्जिद मे आकर नमाज़ मे शामिल हुए, आप का ये शामिल होना इक्तेदा नहीं था, और हनफिया के यहां इमाम पर किरात वाजिब है फिर ये हदीस तो उनके खिलाफ हुज्जत साबित हुई और खारिज हुई ।

दुसरा जवाब

ये है कि इस वाक्या मर्जुलमौत की नमाज़ का है इसमे कई ऐसे अम्र पाए गये है जो आहंजरत सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस थे और बिला इत्तेफाक किसी और के लिये जायज़ नहीं है तो हो सकता है कि ये अम्र भी आहंजरत सल्लाल्लाहू अलैहि वसल्लम के साथ मखसूस हो । फिर जो शख्स इस हदीस के इस खास जज़ा के अमूम होने का कायल है तो वो इस बात पर मुक्कलिफ है कि किसी दलील सरीह से इस का अमूम साबित करे ।

इन हजरात के इन दलाईल के अलावा और भी दलाईल है जो इन दलाईल से भी कमज़ोर है जिसका जिक्र तक करना इल्म की महफिल का मज़ाक उड़ाना है ।

वा आखरूद्–दावानि–वल–हम्दुल्लिाहे रब्बिल–आलेमीन ।

इस्लामिक दावाअ सेन्टर

रायपुर छत्तीसगढ़